/

उपायुक्त — सह-जिला दण्डाकधिकारी, बोकारो का न्यायालय, बोकारो

अनुसूची – ` – फारम संख्या – 562

अंजनी देवी
बनाम्
सुशीला देवी एवं अन्य

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

```
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND:
STACK:
/G2UBegin
```

आदेश पत्रक ता0 17/12/2022 से .... तक

जिला बोकारो संख्या 91 / 2022-23 सन् 2022

केस का प्रकार विविध वाद (निबंधन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17/12/2022	अंजनी देवी पति राज कुमार झा, पता सा0–भगवती कॉलोनी, चास, पो0+थाना–चास जिला बोकारो, आधार सं0–2912 4123 0429 के द्वारा 1.) श्रीमति सुशीला देवी पति स्व0 राम रूप सिंह पता गली स0–8, वार्ड सं0–14, डेहरी ऑन सोन, डालमियानगर, रोहतास, बिहार वर्तमान पता शिवपुरी कॉलोनी, चास, पो0+थाना–चास जिला बोकारो, आधार सं0–3114 0437 5192 2.) श्री अभय कुमार शर्मा, पता शिवपुरी कॉलोनी, चास, पो0+थाना–चास जिला बोकारो के विरूद्ध निबंधन अधिनियम की धारा–58(c) एवं 69(2) के अन्तर्गत **केवाला दस्तावेज सं0–5696**, जो दिनांक–07.12.2022 को अवर निबंधन कार्यालय, चास में निष्पादित है, को निरस्त करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। अभिलेख पीठासीन पदाधिकारी के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखें। ह0/- 17/12 प्रभारी पदाधिकारी	
20/12/2022	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख में संधारित दस्तावेजों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि विपक्षी श्रीमति सुशीला देवी पति स्व० राम रूप सिंह के द्वारा मौजा चास के खाता सं०-744, प्लॉट सं०-7649, रकबा-05 डी० भूमि आवेदिका श्रीमति अंजनी देवी पति राज कुमार झा के साथ Sale agreement करने के बाद भी इनके नाम से निबंधित	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	नहीं कर किसी अन्य के नाम से निबंधित कर दिया गया। फलस्वरूप इस वाद न्यायालय में लाया गया है। उल्लेखनीय है कि जिस sale agreement को आधार बनाकर इस वाद को दायर किया गया है, वह प्रथम द्रष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। जिसका गहराई से जाँच पड़ताल इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसके लिए, माननीय व्यवहार न्यायालय सक्षम न्यायालय है। ऐसी स्थिति में यह वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पोषणीय नहीं है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा केवाला दस्तावेज निरस्त करने संबंधी आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 20.12.22 उपायुक्त-सह-जिला दण्डा० बोकारो। (हस्ताक्षर) 20.12.2022 उपायुक्त-सह-जिला दण्डा० बोकारो।	Received original copy of documents as per list filed on behalf of the petitioner. (हस्ताक्षर) 30/12/22

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.21 16:54:59 +05:30
Location: 192.168.1.109